मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २७५/२०१८,
हरगोबिन्द उम्र करीब ५६ वर्ष पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी ६३ अम्बेडकर कालोनी ग़डिया गॉव खेरा झाँसी थाना प्रेमनगर जिला झाँसी

--------याची

प्रति

१. राजीव पुत्र श्री कश्मीर सिंह निवासी ६३१ डड़ियापुरा झॉसी खास जिला झाँसी

......मालिक क्रेन नं. यू.पी. ९३ ए टी ८३४३

२. शिवम कुमार यादव पुत्र अजय यादव निवासी बैजनाथपुर पोस्ट नंगला जूला थाना कोतवाली जिला मैनपुरी

......चालक क्रेन नं. यू.पी. ९३ ए टी ८३४३

३. भारती एक्सा जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाहनजफ रोड हजरत गंज, लखनऊ जरिए प्रबन्धक

.... बीमा कम्पनी क्रेन नं. यू.पी. ९३ ए टी ८३४३

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री इन्द्र पाल सिंह
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याची व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ भारती एक्सा इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

याचिया व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २३बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २३बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण मे तस्दीक किया गया। २३बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ३५,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २३बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा २३बी में दर्शित कुल ₹ ३५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २३बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २३बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २३बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ भारती एक्सा जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹ ३५,००० (पैंतीस हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.एस.सी. कोड सं. SYNB ०००९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याची हरगोबिन्द आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 16:32:50 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi